Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

46-2016/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 29, 2016 (CHAITRA 9, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 29th March,2016

No.15-HLA of 2016/18 .—The Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admissions in Educational Institutions) Bill,2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 15-HLA of 2016

THE HARYANA BACKWARD CLASSES (RESERVATION IN SERVICES AND ADMISSION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS) BILL, 2016

A

BILL

to provide for reservation in services and admission in educational institutions to persons belonging to Backward Classes in the State of Haryana and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS, clause (4) of article 15 of the Constitution of India enables the State to make special provision for the advancement of any socially and educationally Backward Classes of citizens or for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

AND WHEREAS, clause (5) of article 15 of the Constitution of India enables the State to make special provisions, by law, for the advancement of any socially and educationally Backward Classes of citizens or for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in so far as such special provisions relate to their admission to educational institutions including private aided educational institutions whether aided or unaided by the State, other than minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30 of the Constitution;

AND WHEREAS, clause (4) of article 16 of the Constitution enables the State to make any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any Backward Classes of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State;

AND,WHEREAS, clause (1) of article 38 of the Constitution provides that State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life;

AND, WHEREAS, clause (2) of article 38 of the Constitution provides that the State shall in particular strive to minimize the inequality in income, and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations;

AND, WHEREAS, under article 46 of the Constitution, the State shall promote with special care, the educational and economic interest of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitations;

AND, WHEREAS, the State of Haryana has decided to provide for reservation of seats in educational institutions including private educational institutions aided by the State;

AND, WHEREAS, the State of Haryana is of the opinion that the Backward Classes of citizens in the State are not adequately represented in the services under the State and therefore, it has been decided to provide for reservation of seats in appointments in the services under the State to Backward Classes.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admissions in Educational Institutions) Act, 2016.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "appointment" means an appointment by direct recruitment;

(b) "Backward Classes" means such classes of citizens as specified in Schedule I, II or III;

(c) "competent authority" means an officer or an authority authorised to make admission into educational institutions or appointment in services under the State or an authority empowered by the State under sections 8 and 9, as the case may be;

(d) "creamy layer" means such class of persons within the Backward Classes as the State Government may, by notification in the Official Gazette specify for the purposes of this Act;

(e) "educational institutions" means any institution imparting education, established and maintained by the Government, or receiving aid out of the State funds, and includes Government/Government Aided Technical and Professional Institutions;

(f) "Government" means the Government of the State of Haryana;

(g) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(h) "Schedule" means the Schedules appended to this Act; and

(i) "services" means and includes the services under the Government, the Legislature of the State, any institution of Self Government, any local authority, any corporation or company owned or controlled by the State or any such other authority.

3. While making appointment, reservation shall be made for the members of the Backward Classes as specified in the Schedule. Reservation in services.

4. While making admissions in educational institutions, reservation shall be made for the members of the Backward Classes as specified in the Schedule. Reservation in educational institutions.

5. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, no person belonging to the creamy layer of Backward Classes shall be— Restrictions with regards to creamy layer.

(a) considered for admission in educational institutions against the seats reserved therein for Backward Classes as specified in the Schedule; or

(b) entitled to claim reservation in or be considered for appointment in services under the State against the posts reserved for Backward Classes as specified in the Schedule.

(2) The Government shall, by notification, after taking into consideration social, economic and such other factors, as deemed appropriate, specify the criteria for exclusion and identification of persons belonging to the Backward Classes as creamy layer.

(3) The criteria fixed under sub-section (2) shall be reviewed every three years.

6. Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may provide for horizontal reservation for such category or categories of persons within Backward Classes, as it may deem necessary from time to time. Horizontal reservation.

7. Where the seats reserved for Backward Classes for admission in educational institutions are not filled up in any academic year due to non-availability of candidates possessing the requisite qualifications, the same shall, after the display of the final list of such admissions for that year, be made available to candidates of general categories by the educational institution. Seats for admission not to be carried forward to next year.

8. (1) The Government may, by notification, appoint any officer to be the competent authority for the purposes of carrying out the provisions of this Act. Competent authority to issue certificate.

(2) The competent authority may, for the purposes of sections 3 and 4, issue caste identification certificate in terms of Schedule in such manner, as may be prescribed.

(3) The competent authority shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed.

(4) The competent authority shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

9. A person belonging to the Backward Class as specified in the Schedule shall, for the purposes of sections 3 and 4, support his candidature by a certificate of caste identification issued by the competent authority. Certificate of identification by competent authority.

10. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the competent authority, officers of the Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act, or any rule or order made thereunder. Protection of action taken in good faith.

11. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty: Power to remove difficulties.

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of three years from the commencement of this Act.

12. (1) The Government shall, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act. Power to make rules.

(2) Every rule made under this Act shall, as soon as possible, after it is made or issued, be laid before the State Legislature.

Review of Schedule.

13. The Government shall at the expiration of ten years from the coming into force of this Act and at every succeeding period of ten years thereafter, undertake revision of the Schedule.

Overriding effect.

14. The provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other State law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of any such law.

Validation.

15. Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court or other authority, the reservation made, and anything done or any action taken on the basis of such reservation, by the Government for admission to educational institutions and for appointment in the services for the Backward Classes on the date of coming into force of this Act, shall, for all purposes be deemed to be and to have always been, validly made, done or taken in accordance with law, as if this Act had been in force at all material times when such reservation has been made and such thing done or action taken.

SCHEDULE-1

(See sections 3 and 4)

BACKWARD CLASS BLOCK 'A'

1. Aheria, Aheri, Heri, Naik, Thori or Turi, Hari
2. Barra
3. Beta, Hensi or Hesi
4. Bagria
5. Barwar
6. Barai, Tamboli
7. Baragi, Bairagi, Swami Sadh
8. Battera
9. Bharbhunja, Bharbhuja
10. Bhat, Bhatra, Darpi, Ramiya
11. Bhuhalia, Lohar
12. Changar
13. Chirimar
14. Chang
15. Chimba, Chhipi, Chimpa, Darzi, Rohilla
16. Daiya
17. Dhobi /Dhobi Rajak
18. Dakaut
19. Dhimar, Mallah, Kashyap- Rajpoot, Kahar, Jhiwar, Dhinwar, Khewat, Mehra, Nishad, Sakka, Bhisti, Sheikh-Abbasi
20. Dhosali, Dosali
21. Faquir
22. Gwaria, Gauria or Gwar
23. Ghirath
24. Ghasi, Ghasiara or Ghosi
25. Gorkhas
26. Gawala, Gowala
27. Gadaria, Pal, Baghel
28. Garhi Lohar
29. Hajjam, Nai, Nais, Sain
30. Jhangra-Brahman, Khati, Suthar, Dhiman-Brahmin, Tarkhan, Barhai, Baddi
31. Joginath, Jogi, Nath, Jangam-Jogi,Yogi
32. Kanjar or Kanchan
33. Kurmi
34. Kumhars, Prajapati
35. Kamboj
36. Khanghera
37. Kuchband
38. Labana
39. Lakhera, Manihar, Kachera
40. Lohar, Panchal-Brahmin
41. Madari
42. Mochi
43. Mirasi
44. Nar
45. Noongar
46. Nalband
47. Pinja, Penja
48. Rehar, Rehara or Re
49. Raigar
50. Rai Sikhs
51. Rechband
52. Shorgir, Shergir
53. Soi
54. Singhikant, Singiwala
55. Sunar, Zargar, Soni
56. Thathera, Tamera
57. Teli
58. Banzara, Banjara
59. Weaver (Jullaha)
60. Badi/Baddon
61. Bhattu/Chattu
62. Mina
63. Rahbari
64. Charan
65. Chaaraj (Mahabrahman)
66. Udasin
67. Ramgarhia
68. Rangrez, Lilgar, Nilgar, Lallari
69. Dawala, Soni-Dawala, Nyaaria
70. Bhar, Rajbhar
71. Nat (Muslim)

* **Reservation in services**:-Sixteen percent reservation shall be provided for Class III and IV posts and eleven percent in Class I and II posts.

* **Reservation in admissions**:- Sixteen percent reservation shall be provided for admissions in educational institutions.

SCHEDULE-II

(See sections 3 and 4)

BACKWARD CLASS BLOCK 'B'

1.	Ahir/Yadav	2.	Gujjar	3.	Lodh/Lodha/Lodhi
4.	Saini, Shakya, Koeri, Kushwaha, Maurya	5.	Meo	6	Gosai/Gosain/ Goswami

* **Reservation in services:-** Eleven percent reservation shall be provided for Class III and IV posts and six percent in Class I and II posts.

* **Reservation in admissions:-** Eleven percent reservation shall be provided for admissions in educational institutions.

SCHEDULE-III

(See sections 3 and 4)

BACKWARD CLASS BLOCK 'C'

1.	Jat	2.	Jat Sikh	3.	Ror
4.	Bishnoi	5.	Tyagi	6	Mulla Jat/Muslim Jat

* **Reservation in services:-** Ten percent reservation shall be provided for Class III and IV posts and six percent in Class I and II posts.

* **Reservation in admissions:-** Ten percent reservation shall be provided for admissions in educational institutions.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per provision under Article 340 of the Constitution to sort-out the issue of social and economic backwardness of various castes, the Haryana Government set up its First Backward Classes Commission on 7th September, 1990 under the Chairmanship of Mr. Justice Gurnam Singh (Retd.). The Commission submitted its report on 30.12.90 and the recommendations of the Commission were accepted by the Government. The State Government *vide* its Notifications No. 299-SW(1) dated 05.02.1991 included ten castes, Ahir, Bishnoi, Meo, Gujjar, Jat, Jat Sikh, Ror, Saini, Tyagi and Rajput in list of Backward Classes. Further, the State Government *vide* instruction dated 05.04.1991 provided reservation to these castes. The State Government re-examined the reservation policy and issued order on 12.09.1991 that till a final decision is taken, recruitment will be made according to the status prevalent prior to the letter issued on 05.04.91.

The State Government also submitted an affidavit on 01.10.1993 in the Hon’ble Supreme Court of India to the effect that the Haryana Government has stayed all reservations made in pursuance to the Gurnam Singh Commission and the recommendations and also stated that an independent commission for examining the inclusion and exclusion of castes is being set-up. The State Government constituted the second Backward Classes Commission under the Chairmanship of Sh. Ramji Lal, Ex. MP, who was later on replaced by Sh. Deshraj Kamboj and on the recommendations of this Commission, the State Government *vide* its Notification No. 1170-SW(1)-95 dated 07.06.95 included five castes namely, Ahir/Yadav, Gujjar, Saini, Meo, Lodh and Lodha in the list of Backward Classes and further the Chief Secretary to Government Haryana issued instructions dated 20.07.95 after approval of the Council of Ministers in its meeting held on 06.06.95, wherein the Backward Classes were bifurcated in two Blocks A and B and provided 27 percent reservation to Backward Classes of the State. 16 percent reservation was provided to Block A (67 castes) and 11 percent to Block B (6 castes) as referred above.

Since, the State Government had already extended benefit to 5 castes namely - Jat, Jat Sikh, Ror, Bishnoi and Tyagi, on the recommendations of Justice Gurnam Singh Commission report, as such, these castes were included in the list of Backward Classes on 05.02.1991 and reservation to these castes was also extended on 05.04.1991, however, later on these notifications were withdrawn by the Government on 12.09.1991.

Ever since then the State Government had been receiving various representations from various quarters to include castes in the list of Backward Classes for providing reservation in Government jobs and educational institutions, as such, the Haryana Government *vide* its Notification dated 8th April, 2011 reconstituted the Haryana Backward Classes Commission under the Chairmanship of Justice (Retd.) K.C. Gupta. The terms of reference of this Commission were to entertain, examine and recommend upon requests for inclusion and exclusion of castes in the list of Backward Classes. A study in this regard was got conducted by Justice (Retd.) K.C. Gupta Commission from MDU, Rohtak and the Commission submitted its recommendations to the Government on 12.12.2012. The Council of Ministers accepted the recommendations of the Commission in its meeting held on 12.12.2012. The Chief Secretary to Government Haryana *vide* his D.O. dated 14.12.2012 forwarded the case to the Government of India for inclusion in the Central list of OBCs.

After analyzing Justice (Retd.) K.C. Gupta Commission report, the State Government is satisfied that the report of the Commission is based on quantifiable data and strong evidences, which indicates that not only the above five Castes/Classes are backward classes socially and educationally and they also comply with all legal norms suggested in Indra Sawhney’s (CWP 930 of 1990) case, which has made it imperative for the State to provide these Castes/Classes ten percent reservation in relaxation of general rule of 50 percent in terms of paragraph 810 of the Indra Sawhney’s case.

It may not be out of place to mention that Reservation in Haryana has already touched the 50% threshold as prescribed by the Supreme Court of India, however the case law established by Indra Sawhney’s case does not limit the powers for providing reservation to classes by the Executive or Legislative Branches. As per the judgement reservation should not exceed 50% of the appointments in a grade, cadre or service in any particular year. It is only for extraordinary reasons that this percentage may be exceeded. However, every excess over 50% will have to be justified on valid grounds which will have to be specifically made out. It has specifically been held by the Hon'ble Apex Court in the said judgement:-

“The adequacy of representation is not to be determined merely on the basis of the overall numerical strength of the Backward Classes in the services. For determining the adequacy, their representation at different levels of administration and in different grades has to be taken into consideration. It is the effective voice in the administration and not the total number which determines the adequacy of representation.”

Hence, for the economic and educational advancement of the people belonging to Backward Classes of Citizens, policy of reservation in Government Services and in admissions to educational institutions under the State has been under implementation in the State of Haryana and must be extended due to the reasons enumerated above in order to overcome the limitations as imposed on Backward Classes by them and the injustices suffered by them historically as detailed above. These Backward Classes have been categorized as Backward Classes Block (A), Backward Classes Block (B) and Backward Classes Block (C) in the Schedule I, Schedule II & Schedule III respectively to this Act.

Hence, as a large percentage of the population of Haryana suffering from social and educational backwardness for many years have started enjoying the fruits of the reservation policy and have been able to improve their lot and attain better living conditions the same must be extended in view of the need for those who have not been represented or have been under represented in the reservation policy of Haryana in view of their being backward educationally as well as socially and as such to be treated as Backward Classes Block 'C'.

Thus it is the endeavor of the State Government to give statutory status to Backward Classes Block 'A', Backward Classes Block 'B' and Backward Classes Block 'C' for the reasons mentioned above. And a request be made to the Central Government to include this Act in 9th Schedule read with Article 31B of the Constitution of India.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

KRISHAN KUMAR BEDI,
Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes
Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 29th March,2016.

R.K. NANDAL,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 12 of the proposed Bill empowers State Government to frame for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 15–एच०एल०ए०

हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) विधेयक, 2016

हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों को सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थांओं में दाखिले में आरक्षण के लिए तथा इससे संबंधित अथवा इससे अनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु विधेयक

चूंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का खण्ड (4) राज्य को किसी सामाजिक रूप से तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने हेतु योग्य बनाता है ;

चूंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का खण्ड (5) राज्य को किसी सामाजिक रूप से तथा शैक्षणिक रूप से नागरिकों के पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विधि द्वारा विशेष उपबन्ध करने हेतु योग्य बनाता है जहां तक ऐसे विशेष उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न निजी सहायताप्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं चाहे राज्य द्वारा सहायताप्राप्त हों, या सहायताप्राप्त न हों सहित शैक्षणिक संस्थाओं में उनके दाखिले से सम्बन्धित है;

और चूंकि, संविधान का अनुच्छेद 16 का खण्ड (4) राज्य के नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबन्ध करने हेतु योग्य बनाता है;

चूंकि, संविधान के अनुच्छेद 38 का खण्ड (1) उपबंध करता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रमाण करेगा;

और चूंकि, संविधान के अनुच्छेद 38 का खण्ड (2) उपबन्ध करता है कि राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा;

और चूंकि, संविधान के अनुच्छेद 46 के अधीन राज्य, जनता के कमजोर वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषणों से उनकी संरक्षा करेगा;

और चूंकि, हरियाणा राज्य ने राज्य द्वारा सहायताप्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थाओं सहित शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण के लिए उपबन्ध करने का निर्णय लिया है;

और चूंकि, हरियाणा राज्य की राय है कि राज्य में नागरिकों के पिछड़े वर्गों को राज्य में सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है और इसलिए, राज्य में पिछड़े वर्गों को राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों में सीटों के आरक्षण के लिए उपबन्ध करने का निर्णय लिया गया है ।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''नियुक्ति'' से अभिप्राय है, सीधी भर्ती द्वारा की गई नियुक्ति ;

(ख) ''पिछड़े वर्गों'' से अभिप्राय है, अनुसूची I, II या III में, यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के ऐसे वर्ग;

(ग) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, राज्य के अधीन शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले या सेवाओं में नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकारी या धारा 8 तथा 9, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन राज्य द्वारा सशक्त कोई प्राधिकारी;

(घ) ''नवोन्नत वर्ग'' से अभिप्राय है, पिछड़े वर्गों के भीतर व्यक्तियों का ऐसा वर्ग जिसे राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;

(ङ) ''शैक्षणिक संस्था'' से अभिप्राय है, सरकार द्वारा स्थापित तथा अनुरक्षित या राज्य निधि से सहायताप्राप्त करने वाली शिक्षा देने वाली कोई संस्था तथा इसमें सरकारी/ सरकारी सहायताप्राप्त तकनीकी तथा व्यवसायिक संस्थाएं भी शामिल हैं;

(च) ''सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार ;

(छ) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

(ज) ''अनुसूची'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूचियां ; तथा

(झ) ''सेवाओं'' से अभिप्राय है तथा इसमें शामिल है, सरकार, राज्य विधानमण्डल, स्वायत्त शासन की किसी संस्था, किसी स्थानीय प्राधिकरण, राज्य या किसी ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई निगम या कम्पनी के अधीन सेवाएं।

सेवाओं में आरक्षण।

3. नियुक्तियां करते समय, आरक्षण अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए किया जायेगा ।

शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण।

4. शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिला करते समय आरक्षण, अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए किया जाएगा।

नवोन्नत वर्ग के संबंध में निर्बन्धन।

5. (1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, पिछड़े वर्गों के नवोन्नत वर्ग से संबंधित कोई भी व्यक्ति—

(क) अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्ग के लिए उसमें आरक्षित सीटों के विरुद्ध शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिए विचारा नहीं जाएगा; या

(ख) अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति के लिए आरक्षण के दावे के लिए हकदार नहीं होगा या विचारा नहीं जाएगा।

(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा, सामाजिक तथा आर्थिक तथा ऐसे अन्य घटकों जो उचित समझे, पर विचार करने के बाद, नवोन्नत वर्ग के रूप में पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों को निकालने के लिए मानदण्ड तथा पहचान विनिर्दिष्ट करेगी।

(3) उप—धारा (2) के अधीन नियत मानदण्ड प्रत्येक तीन वर्ष के बाद पुनरीक्षित किया जाएगा।

हॉरिजन्टल आरक्षण ।

6. इस अधिनियम में दी गई किसी बात को होते हुए भी, राज्य सरकार, समय—समय पर, जैसा यह आवश्यक समझे, पिछड़े वर्गों में व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग या प्रवर्गों के लिए हॉरिजन्टल आरक्षण हेतु उपबन्ध कर सकती है ।

दाखिले के लिए सीटों का अगले वर्ष हेतु अग्रेषित न किया जाना।

7. जहां शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटें अपेक्षित योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण किसी शैक्षणिक वर्ष में भरी नहीं जाती हैं, तो वे उस वर्ष के लिए ऐसे दाखिले की अन्तिम सूची प्रदर्शित होने के बाद शैक्षणिक संस्था द्वारा सामान्य प्रवर्गों के उम्मीदवारों को उपलब्ध करवायी जाएंगी।

8. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकती है। प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी।

(2) धारा 3 तथा 4 के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अनुसूची के निबन्धनों के अनुसार जाति पहचान प्रमाण–पत्र जारी कर सकता है। (3) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं।

(4) सक्षम प्राधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझा जाएगा।

9. अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्ग से संबंधित कोई व्यक्ति, धारा 3 तथा 4 के प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति पहचान प्रमाण–पत्र द्वारा अपनी उम्मीदवारी समर्थित करेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहचान प्रमाण–पत्र।

10. इस अधिनियम, या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अधीन कोई बात जो सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित है के लिए सरकार के सक्षम प्राधिकारी या अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेंगी । सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

11. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्असंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों : कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद इस धारा के अधीन नहीं किया जाएगा।

12. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने या जारी किए जाने के बाद, यथा सम्भव शीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

13. सरकार इस अधिनियम के लागू होने से दस वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् दस वर्ष की प्रत्येक उत्तरवर्ती अवधि पर अनुसूची का पुनरीक्षण करेगी। अनुसूची का पुनरीक्षण।

14. इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि या किसी ऐसी विधि के फलस्वरूप प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में दी गई इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। अध्यारोही प्रभाव।

15. किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के किसी न्याय निर्णय, डिक्री या आदेश में दी गई किसी बात के होते हुए भी, ऐसे आरक्षण के आधार पर किया गया आरक्षण तथा की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई सरकार द्वारा इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिलों के लिए तथा सेवाओं में नियुक्ति के लिए सभी प्रयोजनों हेतु विधि के अनुसार किए गए, की गई या सदैव किए गए या की गई विधिमान्यता के रूप में समझी जाएंगी, मानो यह अधिनियम सभी तात्विक समय पर लागू था, जब ऐसा आरक्षण किया गया हो और ऐसी बात की गई हो या कार्रवाई की गई हो। विधिमान्यकरण।

अनुसूची –I

(देखिए धारा 3 तथा 4)

पिछड़े वर्ग ब्लाक 'ए'

1. अहेरिया, अहेड़ी, हेडी, नायक, थोरी या तूरी, हारी
2. बर्रा
3. बेटा, हैंसी या हैसी
4. बगडिया
5. बरवार
6. बराए, तम्बोली
7. बरागी, वैरागी, स्वामी साध
8. बटेरा
9. भडभूंजा, भडभूजा
10. भाट, भाटडा, दार्पी, रामिया
11. बुहालिया, लोहार
12. चन्गार
13. चिड़ीमार
14. चंग
15. चिम्बा, छिप्पी, चिम्पा, दर्जी, रोहिला
16. डेया
17. धोबी/धोबी रजक
18. डाकोत
19. धीमार, मल्लाह, कश्यप–राजपूत, कहार, झीवर, धीवर, खेवट, मेहरा, निशाद, सक्का, भिस्ती, शेख अबासी
20. धौसाली, दोसाली
21. फकीर
22. गवारिया, गोरिया, गवार
23. धीराथ
24. घासी, घसियारा या घौसी
25. गोरखा
26. गवाला, गोवाला
27. गड़रिया, पाल, बाघेल
28. गाड़ी लोहार
29. हजाम, नाई, नाईज, सैन
30. झांगड़ा–ब्राह्मण, खाती, सुथार, धीमान–ब्राह्मण, तरखान, बरहाई, बाड्डी
31. जोगीनाथ, जोगी, नाथ, जंगम–जोगी, योगी
32. कंजर या कंचन
33. कुर्मी
34. कुम्हार, प्रजापति
35. कम्बोज
36. खंगहेड़ा
37. कुचबन्द
38. लबाना
39. लखेरा, मनीहार, कचेरा
40. लोहार, पांचाल–ब्राह्मण
41. मदारी
42. मोची
43. मिरासी
44. नार
45. नुनगर
46. नलबन्द
47. पिंजा, पेंजा
48. रेहार, रेहाडा या रे
49. रायगर
50. रायसिक्ख
51. रेचबन्द
52. शोरगिर, शेरगिर
53. सोई
54. सिंगीकाट, सिंगीवाला
55. सुनार, जरगर, सोनी
56. ठठेरा, तमेरा
57. तेली
58. बंजारा, वंजारा
59. वीवर (जुलाहा)
60. बादी/ बादो
61. भट्टू/ चट्टू
62. मीना
63. रेहवारी
64. चारन
65. चारज (महा ब्राह्मण)
66. उदासीन
67. रामगढ़िया
68. रंगरेज, लीलगर, नीलगर, लल्लारी
69. डावला, सोनी–डावला, न्यारिया
70. भर, राजभर
71. नट (मुस्लिम)

* **सेवाओं में आरक्षण** :– श्रेणी III तथा IV पदों के लिए सोलह प्रतिशत तथा श्रेणी I तथा II पदों के लिए ग्यारह प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

* **दाखिलों में आरक्षण** :– शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिए सोलह प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

अनुसूची –II

(देखिए धारा 3 तथा 4)

पिछड़े वर्ग ब्लाक 'बी'

1. अहीर / यादव	2. गुज्जर	3. लोध / लोधा, लोधी
4. सैनी, शाक्य, क्योरी, कुशवाहा, मौर्या	5. मेव	6. गोसाई / गोसाईन / गोस्वामी

* **सेवाओं में आरक्षण** :– श्रेणी III तथा IV पदों के लिए ग्यारह प्रतिशत तथा श्रेणी I तथा II पदों के लिए छह प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

* **दाखिलों में आरक्षण** :– शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिए ग्यारह प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

अनुसूची –III

(देखिए धारा 3 तथा 4)

पिछड़े वर्ग ब्लाक 'सी'

1. जाट	2. जट सिक्ख	3. रोड़
4. बिश्नोई	5. त्यागी	6. मुल्ला जाट/मुस्लिम जाट

* **सेवाओं में आरक्षण** :– श्रेणी III तथा IV पदों के लिए दस प्रतिशत तथा श्रेणी I तथा II पदों के लिए छह प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

* **दाखिलों में आरक्षण** :– शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिए दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

विभिन्न जातियों की सामाजिक तथा आर्थिक विषयों का समाधान करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अधीन उपबन्ध के अनुसार, हरियाणा सरकार द्वारा माननीय न्यायाधीश श्री गुरनाम सिंह (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता के अधीन 7 सितम्बर, 1990 को इसका प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया गया। आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.12.1990 को प्रस्तुत की गई तथा आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। राज्य सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना संख्या 299–एसडब्ल्यू(1), दिनांक 5.2.1991 द्वारा दस जातियों अर्थात् अहीर, बिश्नोई, मेव, गुज्जर, जाट, जट–सिख, रोड़, सैनी, त्यागी तथा राजपूत को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किया गया। आगे, राज्य सरकार द्वारा अनुदेश दिनांक 5.4.1991 द्वारा इन जातियों को आरक्षण उपलब्ध करवाया गया। राज्य सरकार द्वारा आरक्षण नीति का पुनः परीक्षण किया गया तथा दिनांक 12.9.1991 को आदेश जारी किया गया कि अन्तिम निर्णय लिए जाने तक, दिनांक 5.4.1991 को जारी किए गए पत्र से पूर्व विद्यमान स्थिति के अनुसार भर्ती की जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.10.1993 को भारत के उच्च न्यायालय में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा गुरनाम सिंह आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में किए गए सभी आरक्षणों को रोक दिया गया है तथा कथित किया गया कि जातियों को शामिल करने तथा निकालने हेतु विचार करने, परीक्षण करने के लिए एक स्वतन्त्र आयोग का गठन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा श्री रामजी लाल, पूर्व सांसद की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जो बाद में श्री देशराज कम्बोज से प्रतिस्थापित किया गया तथा इस आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना संख्या 1170–एसडब्ल्यू(1)–95, दिनांक 07.06.1995 द्वारा पिछड़े वर्ग की सूची में पांच जातियों अर्थात् अहीर/यादव, गुज्जर, सैनी, मेव, लोध तथा लोधा को शामिल किया गया तथा आगे मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 6.6.1995 को आयोजित मन्त्री परिषद की बैठक के अनुमोदन के बाद दिनांक 20.7.1995 को अनुदेश जारी किया गया जिसमें पिछड़े वर्गों को दो ब्लाकों ए तथा बी में विभक्त किया गया था तथा राज्य के पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध करवाया गया। 16 प्रतिशत आरक्षण उपरोक्त यथा संदर्भित ब्लॉक ए (67 जातियां) तथा 11 प्रतिशत ब्लॉक बी (6 जातियां) को उपलब्ध करवाया गया था।

चूंकि, राज्य सरकार ने पहले ही न्यायाधीश गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर, 5 जातियों अर्थात् जाट, जट–सिक्ख, रोड़, बिश्नोई तथा त्यागी दिनांक 05.02.1991 को पिछड़े वर्गों की सूची में विस्तार किया गया था तथा इन जातियों का आरक्षण दिनांक 05.04.1991 को भी विस्तारित किया गया था, तथापि बाद में, सरकार द्वारा ये अधिसूचनाएं दिनांक 12.9.1991 को वापस ले ली गई थी।

इसलिए, राज्य सरकार को पिछड़े वर्गों की सूची में जातियों को शामिल करने के लिए विभिन्न क्वार्टरों से विभिन्न प्रतिवेदन प्राप्त किए गए थे, सरकारी नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना संख्या दिनांक 8 अप्रैल, 2011 द्वारा माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री के० सी० गुप्ता की अध्यक्षता में हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनः गठन किया गया। इस आयोग के संदर्भ की शर्तें पिछड़े वर्गों की सूची में जातियों को शामिल करने तथा निकालने के लिए आवेदनों को ग्रहण करने, परीक्षण करने तथा उन पर सिफारिश करनी थी। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री के0सी0 गुप्ता द्वारा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक से अध्ययन करवाया गया था तथा आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें दिनांक 12.12.2012 को सरकार को प्रस्तुत की गई। मन्त्री परिषद द्वारा दिनांक 12.12.2012 को आयोजित अपनी बैठक में आयोग की सिफारिशें स्वीकृत की गई। मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा अपने अर्ध सरकारी पत्र दिनांक 14.12.2012 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए मामला भारत सरकार को भेजा गया।

माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) के0सी0 गुप्ता आयोग की रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद, राज्य सरकार की संतुष्टि हो गई है कि आयोग की रिपोर्ट निर्धारित डाटा तथा मजबूत साक्ष्य पर आधारित है जो सूचित करते हैं कि न केवल उक्त पांच जातियों/वर्गों सामाजिक तौर पर तथा शिक्षा के तौर पर पिछड़े वर्गों के हैं तथा वे इन्दिरा साहनी (सी0डब्ल्यू0पी0 1990 का 930) में सभी विधिक मानक सुझावों के साथ भी पालन किया गया है, जो इन्दिरा साहनी मामले के पैरा 810 के निबंधनों में 50 प्रतिशत के सामान्य नियम की छूट 10 प्रतिशत आरक्षण इन जातियों तथा वर्गों को देने के लिए राज्य को देना आवश्यक है।

यहां यह भी वर्णित करना उचित होगा कि हरियाणा में आरक्षण पहले ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथाविहित 50 प्रतिशत से ज्यादा है, तथापि इन्दिरा साहनी के मामले द्वारा स्थापित विधि कार्यकारी या विधायी शाखाओं द्वारा वर्गों को आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए शक्तियों को सीमित नहीं करता है । न्याय निर्णय के अनुसार आरक्षण किसी विशेष वर्ष में ग्रेड, संवर्ग या सेवा में नियुक्तियों का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । यह केवल असाधारण कारणों के लिए है कि यह प्रतिशतता अधिक हो सकती है। तथापि 50 प्रतिशत से अधिक वैध आधारों पर न्यायसंगत होगी जो विशेष रूप से किया जायेगा । उक्त न्याय निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से यह कहा गया है:–

> "The adequacy of representation is not to be determined merely on the basis of the overall numerical strength of the Backward Classes in the services. For determining the adequacy, their representation at different levels of administration and in different grades has to be taken into consideration. It is the effective voice in the administration and not the total number which determines the adequacy of representation."

इसलिए राज्य में नागरिकों के पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों के आर्थिक तथा शैक्षणिक उन्नति, सरकारी सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिलों में आरक्षण की पॉलिसी के लिए हरियाणा राज्य में लागूकरण के अधीन है तथा उन द्वारा पिछड़े वर्ग पर यथा अधिरोपित सीमाओं के समाधान के लिए उपरोक्त दिए गए कारणों के कारण बढ़ाया जा सकता है तथा उन द्वारा ऐतिहासिक रूप से यथा उपरोक्त वर्णित अन्याय सहन किया गया । इन पिछड़े वर्गों को इस अधिनियम की क्रमशः अनुसूची I, अनुसूची II तथा अनुसूची III में पिछड़े वर्ग ब्लॉक (क), पिछड़ा वर्ग ब्लॉक (ख) तथा पिछड़ा वर्ग ब्लॉक (ग) में वर्णित किया गया है ।

इसलिए कई वर्षों से सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन से ग्रस्त हरियाणा की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता ने आरक्षण पॉलिसी के लाभ का फायदा लेना शुरू कर दिया है तथा अपने जीवन स्तर में काफी सुधार करने के योग्य हो गए हैं इसलिए यह उनकी जरूरतों के दृष्टिगत बढ़ाया जाना चाहिए जिन्होंने शैक्षणिक रूप के साथ–साथ सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के दृष्टिगत हरियाणा की आरक्षण पॉलिसी में प्रतिनिधित्व नहीं किया है या प्रतिनिधित्व के अधीन हैं और इसलिए पिछड़े वर्ग ब्लॉक (सी) के रूप में समझा जाये ।

इस प्रकार, यह उपरोक्त वर्णित कारणों से पिछड़े वर्ग ब्लॉक 'ए', ब्लॉक 'बी' तथा ब्लॉक 'सी' को वैधानिक महत्व देने का राज्य सरकार का प्रयास है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 ख के साथ पठित नौवीं अनुसूची में इस अधिनियम को शामिल करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया जाता है।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विधेयक लाया जाता है।

इसलिए विधेयक।

कृष्ण कुमार बेदी,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढः
दिनांक 29 मार्च, 2016.

आर० के० नांदल,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक का खण्ड 12 अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करती है। कार्यकारी शक्तियों को यह प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है। अतः प्रत्यायोजित विधान संबंधी यह ज्ञापन हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन यथा अपेक्षित संलग्न है।

54206—H.V.S.—H.G.P., Chd.